न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा।

मुकद्मा नम्बर 174 सन् 2021

ठा0 केशव देव जी महाराज बनाम यू0पी0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड

शपथपत्र मिनजानिब दिनेश चन्द शर्मा आयु करीब साल पुत्र श्री श्याम सुन्दर निवासी महमद पुर तहसील गोवर्धन जिला मथुरा।

मैं उपरोक्त शपथकर्ता धर्म निष्ठा से शपथपूर्वक निम्नलिखित ब्यान करता हूं।

1– यह कि शपथकर्ता स्वंय व बहैसियत कोषाध्यक्ष अखिल भारत हिन्दू महासभा उक्त वाद का है तथा मुकदमे के तथ्यों से पूर्णतया परिचित है।

2–यह कि कथित ईदगाह प्राचीन मंदिर को तोडकर बनाई गयी है और प्राचीन मंदिर के अवशेष कथित ईदगाह में है और वादी ने प्रार्थना पत्र भी निषेधाज्ञा जारी करने व कमीशन जारी करने हेतु दिये है।

3–यह कि शपथकर्ता हिन्दू है और उसकी आस्था ठाकुर केशव देव जी में है। कथित ईदगाह ठा0 केशव देव जी के मंदिर को तोडकर बनाई है अतः हिन्दू होने के नाते ठाकुर जी में आस्था होने के कारण वादी को कथित ईदगाह (प्राचीन मंदिर) में पूजा पाठ करने का अधिकार है और संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को पूजा पाठ का स्वतंत्र अधिकार दिया गया है।

4– यह कि शपथपत्र की मद नम्बर 1, 2, 3, का ज्ञान शपथकर्ता की जातीय जानकारी से हुआ है जो सत्य व सही है कुछ भी असत्य नहीं हे ईश्वर मेरी मदद करे तस्दीक इसकी व मुकाम मथुरा आज दिनांक 18 .5.2022 ई की गई।

शपथकर्ता

WWW.LIVELAW.IN

न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा।

मुकद्मा नम्बर 174 सन् 2021

ठा0 केशव देव जी महाराज बनाम यू0पी0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड

श्रीमान जी,

निवेदन है कि कथित ईदगाह प्राचीन मंदिर को तोडकर बनाई गयी है और प्राचीन मंदिर के अवशेष कथित ईदगाह में है और वादी ने प्रार्थना पत्र भी निषेधाज्ञा जारी करने व कमीशन जारी करने हेतु दिये है।

प्रार्थी हिन्दू है और उसकी आस्था ठाकुर केशव देव जी में है। कथित ईदगाह ठा0 केशव देव जी के मंदिर को तोडकर बनाई है अतः हिन्दू होने के नाते ठाकुर जी में आस्था होने के कारण वादी को कथित ईदगाह (प्राचीन मंदिर) में पूजा पाठ करने का अधिकार है और संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को पूजा पाठ का स्वतंत्र अधिकार दिया गया है।

अतः प्रार्थना है कि वादी को कथित ईदगाह (प्रांचीन मंदिर) में लड्डू गोपाल का अभिषेक व पूजा पाठ की इजाजत दी जावे ।

दिनांक 18 .5.2022

प्रार्थी वादी

द्वारा– एडवोकेट

WWW.LIVELAW.IN